हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज **राजस्व वाद पत्र संख्या 34/2019 अनवान भूरसिंह बनाम गोकलसिंह वगैराह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय आटी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक **06.12.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आटी पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर	
06.12.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय आटी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र आटी पर पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण भूरसिंह पुत्र कूम्पसिंह, गुलाबसिंह पुत्र कूम्पसिंह एवं पन्नसिंह पुत्र मादानसिंह जातियान राजपूत निवासीयान आटी तहसील एवं जिला बाड़मेर द्वारा शिविर प्रभारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा राजस्व वाद 110/2019 एवं आवेदन संख्या 34/2019 मे उसके द्वारा मौजा आटी तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 122 रकबा 89 मे 4.00 बीघा विवादित भूमि पर जो निषेधाज्ञा जारी की गई थी, उसे अब प्रार्थीगण स्वयं निषेधाज्ञा मुक्त करवाना चाहते है एवं वाद विड्रो करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अतः हम प्रार्थीगण उपरोक्त राजस्व वाद संख्या आवेदन 110/2019 एवं आवेदन संख्या 34/2019 मे जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहते है। अतः हमारा राजस्व वाद एवं आवेदन जरिये विड्रो खारिज फरमाने की कृपा करावें। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर लोक अदालत की भावना से प्रार्थीगण का राजस्व आवेदन इसी स्तर से विड्रो (Withdrawal) किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर की जाती है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर।	